15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

सत्यमेव जयते

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

0383 771355

विक्रय विलेख

विक्रय की धनराशि - रु0 1,30,000/-

बकाया मूल्य रु0 1,11,370/-

उ0 प्र0 सिंचाई कर अदा होना रु0 18,100/-

1	भूमि का प्रकार	-	कृषि
2	परगना	-	बिजनौर
3	ग्राम	-	मुहम्मदाबाद गुलाऊ
4	सम्पत्ति का विवरण	-	भूमि क्षेत्रफल 1944.355 एकड़ 0.161 हेक्टेयर, स्थित ग्राम- मुहम्मदाबाद गुलाऊ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला बिजनौर।

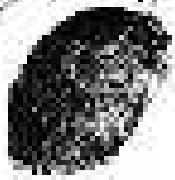

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 279422

-3-

क्रम पत्र की संख्या- 4 विलेख का क्रमांक- 1

विक्रेतागण का विवरण	:	क्रेता का विवरण
1. राम किशन पुत्र स्व0 मथुरा 2. श्रीमती चन्द्र पत्नी स्व0 मथुरा 3. इन्द्रा प्रसाद 4. सुरेन्द्र पुत्रगण दुर्गादीन निवासीगण ग्राम पुरबटला पुमपत, परगना बिजनौर, तहसील व जिला बुलन्दशहर।	:	गजेन्द्रसिंह पुत्र श्रीपाल सिंह निवासी ग्राम सिन्धुर मिश्री पो0 नवादा, तहसील व जिला फतेहपुर।
भुगतान- नकदी		अवलम्ब- कृषि

राम किशन

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 279423

-2-

यह विक्रय विलेख 1. राम मिलन पुत्र स्व0 मथुरा 2. श्रीमती चन्द्र पत्नी स्व0 मथुरा 3. इन्द्रपाल पवार 4. सुरेश पुत्रगण दुर्गेश निवासीगण ग्राम पुलकखलान पुरानन, परगना बिलहौर, तहसील व जिला लखनऊ [illegible] से एवं रामलखन पुत्र श्रीपाल सोनी निवासी ग्राम शिवपुर भिटारी पो0 नवाबगंज, तहसील व जिला फतेहपुर लेखे आगे क्रेता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया ।

यह कि विक्रेतागण भूमि मापा ग्राम [illegible] 0.084 हेक्टेयर, स्थित ग्राम- पुलकखलान पुरानन, परगना बिलहौर, तहसील व जिला लखनऊ का

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 728847

पंजिका, कब्जा व जोत है तथा उपरोक्त सम्पत्ति [illegible] ओनी बन एवम CDLR0 के अनुसार भूमि विक्रेतागण के नाम संकलनीय भूमिधर के कॉलम में दर्ज है और विक्रेतागण के नाम का अंकन दस्तावेज सम्बन्ध अभिलेखों में हो गया है। विक्रेतागण द्वारा सम्पूर्ण हिस्सा बेचा जो वह विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेतागण उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के पंजिका, कब्जा व जोत है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरकारी भूमि का हिस्सा नहीं है। यह कि विक्रेतागण यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेतागण ने उसे बगैर विक्रय के एवं किसी बय, हिबा, लिखकी या अनुबन्धित

इत्यादि नहीं किया है। विक्रेतागण ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेतागण व उनके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होंगे। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्की इत्यादि है। विक्रेतागण के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का लाभ, हक या धन इत्यादि नहीं है, इस विक्रेतागण को उक्त विक्रय अनुबंध करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतः उपरोक्त सम्पत्ति के प्रतिफल मूल्य विक्रय मूल्य रुपा 1,00,063/- के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त करा द्वारा विक्रेतागण की इस विक्रय के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित मोटे के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेतागण यहाँ स्वीकार करते हैं, तदनुसार उक्त विक्रेतागण द्वारा केवल के हक उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को बेच दिया है, एवं विक्रेतागण ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा केता को बखूबी कर दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेतागण तथा उनके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेतागण ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व उनेश के लिए केता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब केता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने सम्पूर्ण स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेतागण व उनके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई भाग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेतागण के स्वामित्व में त्रुटि के कारण

या कानूनी आदेश या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके नामिनी विधिपूर्वक हस्तांतरित के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकाल जाये तो क्रेता उसके नामिनी, विधिपूर्वक हस्तांतरित को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान व हर्जा व खर्चा, विक्रेतागण की वजह, जबकि सम्पत्ति से मजिये अवैधता भयुक्त कर दें। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके नामिनी हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होंगे ।

यह कि विक्रेतागण यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि तकनीक किसी प्राधिकरण, तकनीक तथा दाखिल आवास एवं विकास परिषद, तकनीक तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है ।

यह कि क्रेता विक्रयपत्र सम्पत्ति के संबंधित खरीद रावल अभिलेखों में अपने नाम दर्ज कराने से तो विक्रेता की कोई जवाबदेही न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व या बाद कोई बकाया किसी तरह का भार उस सम्पत्ति पर होगा तो उसके विक्रेतागण भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता की कोई जवाबदेही न होगी ।

यह कि उपरोक्त आवास नगर वाया कुलम्बकलाँ सुरक्षित अर्बनएरिया क्षेत्र के अधिसूचित ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रू0 13,75,000/- प्रति हेक्टेयर है इस प्रकार विक्रीत भूमि 0.081 हेक्टेयर की कुल धनराशि 1,11,375/- होती है तथा विक्रय मूल्य, भूमि की बाजार मूल्य से अधिक है इसलिए निम्नानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 18,100/ अदायगी स्वरूप अब विक्रय कर रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के

उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नहीं चल रही है व कोई नलकूप, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मी0 के अन्तर्गत में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि मुल्तानपुर रोड से व आगर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। निष्पादक एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय हितेख के निष्पादन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिखावट पढ़ लिया गया निष्पादक ने क्रेता के पक्ष में सिद्ध किया यादि हमारे रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

परिशिष्ट: भुगतान विवरण

1. निष्पादक को रु0 45,016/- द्वारा चेक संख्या-[illegible] दिनांकित 26.09.2006 पंजाब नेशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

2. निष्पादक को रु0 45,016/- द्वारा चेक संख्या-[illegible] दिनांकित 26.09.2006 पंजाब नेशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

3. निष्पादक को रु0 45,016/- द्वारा चेक संख्या-[illegible] दिनांकित 26.09.2006 पंजाब नेशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4. विक्रेतागण को रू0 45,016/- द्वारा चेक सं0- 135783 दिनांकित 26.09.2006 पंजाब नेशनल बैंक, अलीगंज लखनऊ बैंक से प्राप्त हुए।

इस प्रकार विक्रेतागण को कुल विक्रय मूल्य 1,80,063/- (रुपये एक लाख अस्सी हजार तिरसठ मात्र) बैंक से प्राप्त हुए मिलकर, प्रति विक्रेतागण स्वीकार करते हैं।

लखनऊ
दिनांक : 26.09.2006

गवाह :

1. [illegible]

2. [illegible]

टाईपकर्ता

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
सिविल कोर्ट लखनऊ

विक्रेतागण

[illegible]

प्रस्तुतकर्ता

(वेदप्रकाश सिंह)
एडवोकेट

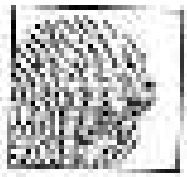

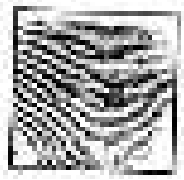

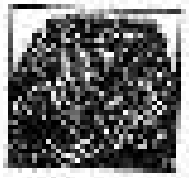

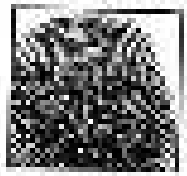

[illegible]

[illegible] 355

[illegible]

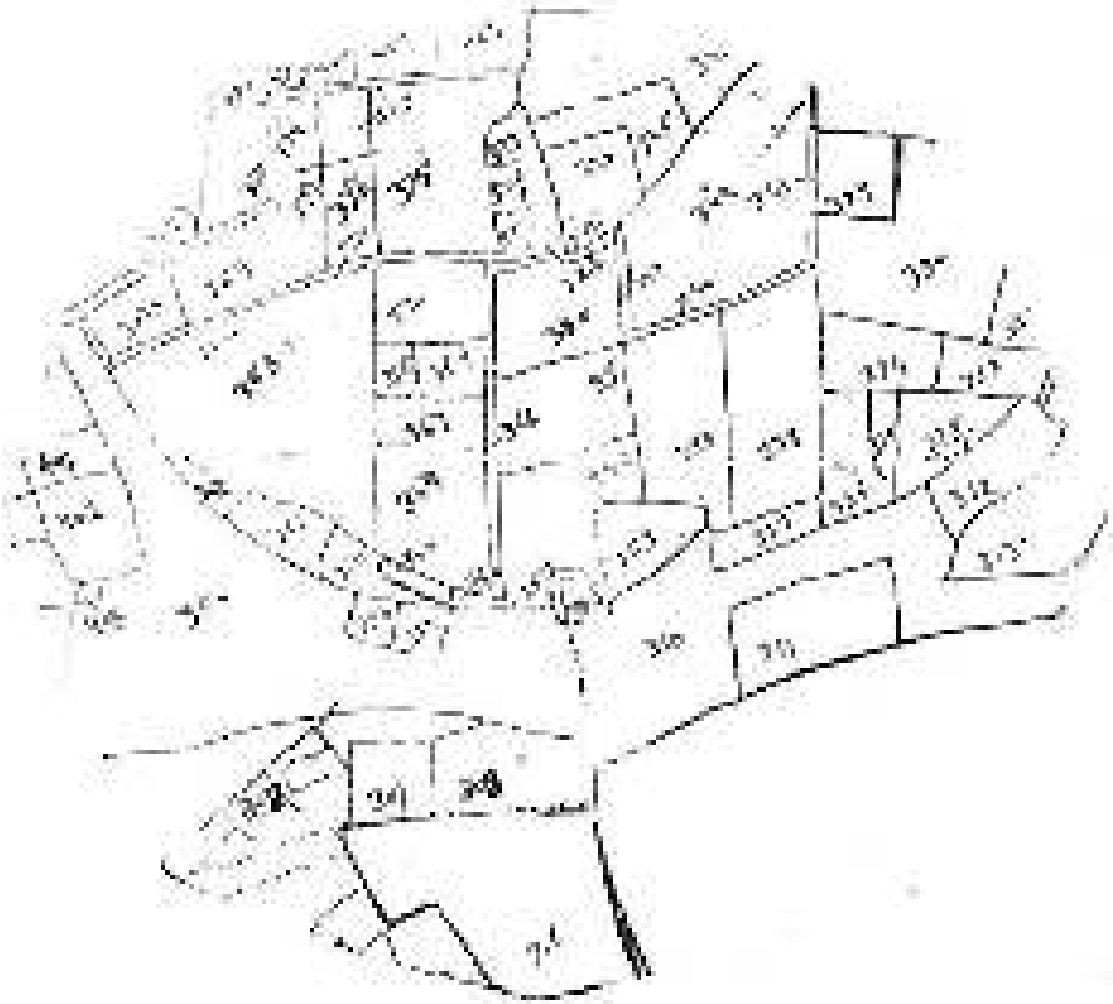

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा – 32 (3) के अनुपालन हेतु

फिंगर्स प्रिन्टर्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता नाम व पता : [illegible]

दाहिने हाथ की अंगुलियों के निशान :–

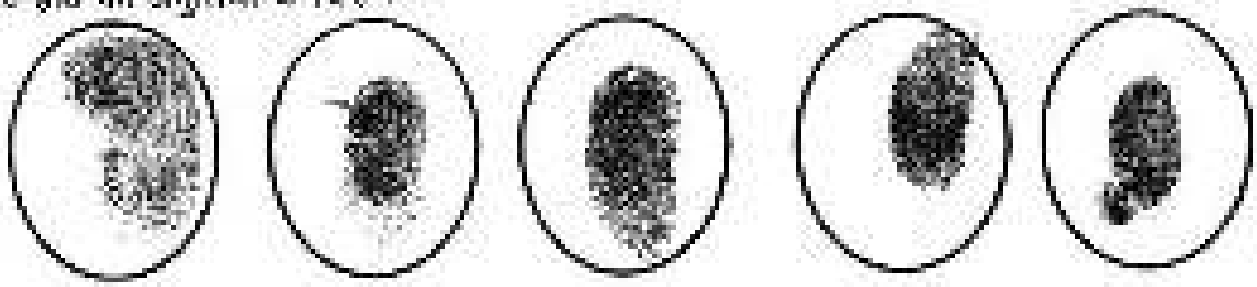

बाईं हाथ की अंगुलियों के निशान :–

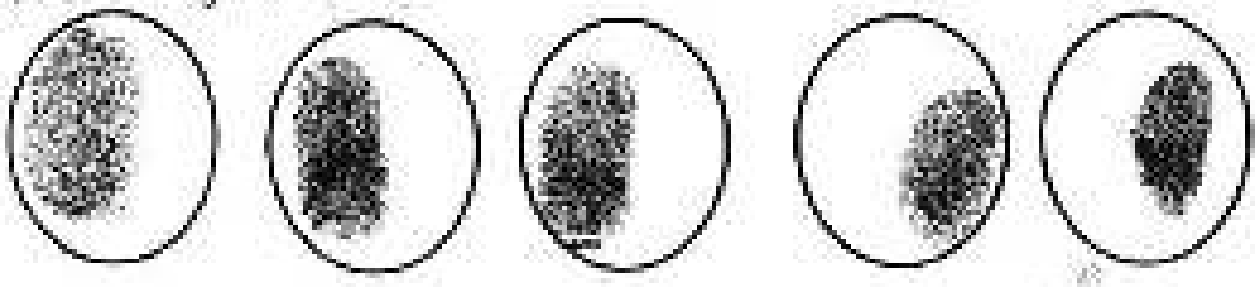

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता नाम व पता : [illegible]

दाहिने हाथ की अंगुलियों के निशान :–

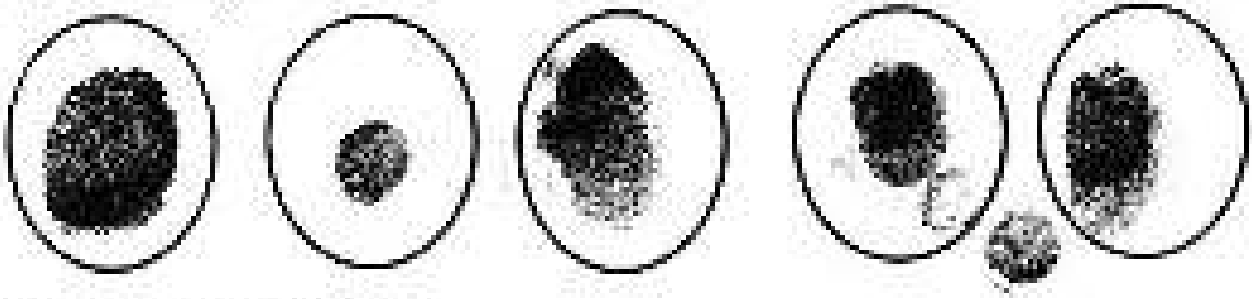

बाईं हाथ के अंगुलियों के निशान :–

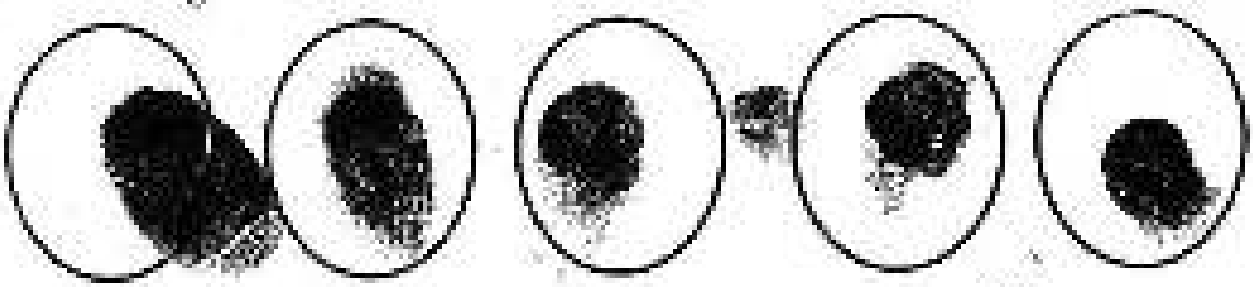

[illegible]

विक्रेता [illegible] हस्ताक्षर

Dicter

Year : 2015 Book No. 1

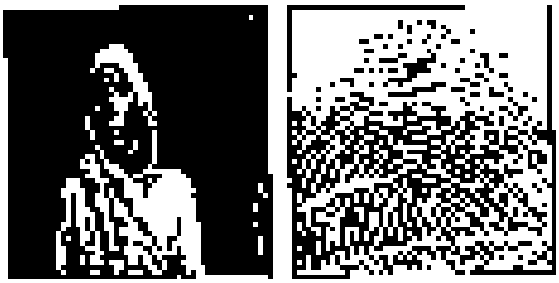

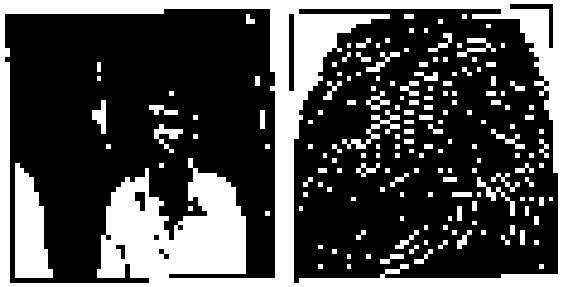

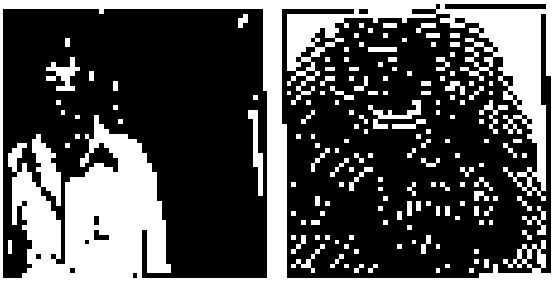

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा - 32 उ0 के अनुपालन हेतु,

फिंगर्स प्रिन्टर्स

हस्तान्तरणकर्ता/विक्रेता नाम व पता :- [illegible]

बाँये हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

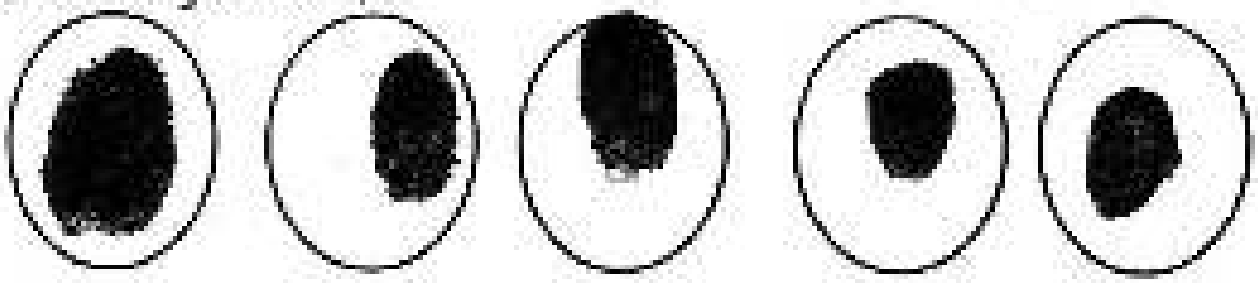

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

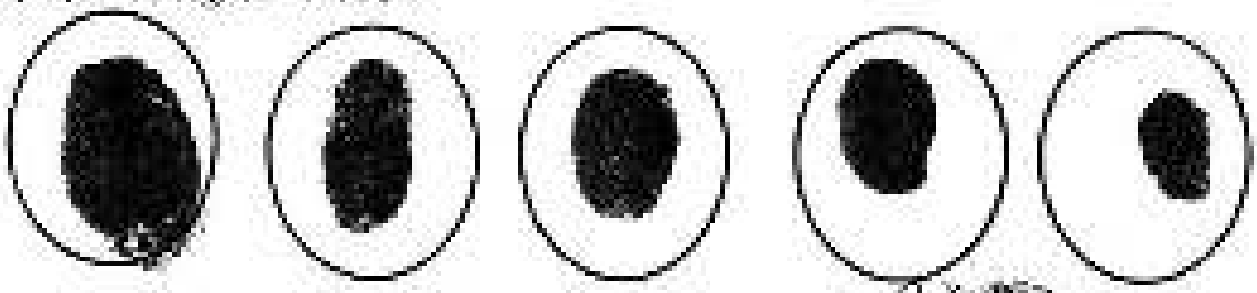

हस्तान्तरणकर्ता/विक्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता/क्रेता नाम व पता :- [illegible]

बाँये हाथ की की अंगुलियों के चिन्ह :-

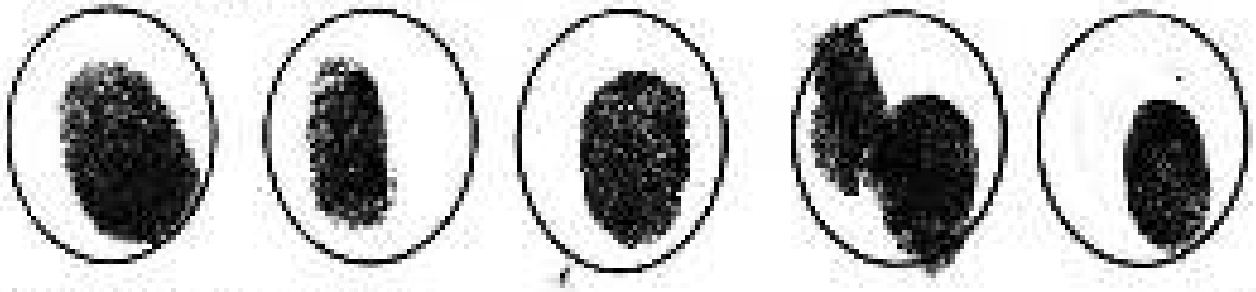

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

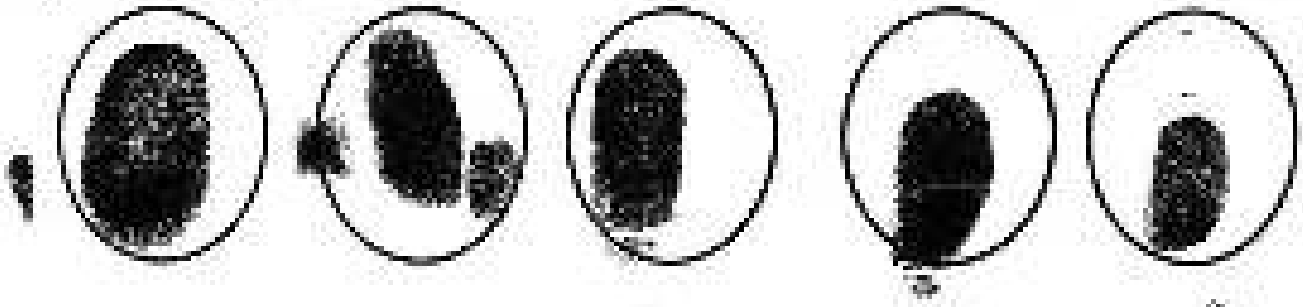

क्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा - 32 ख0 के अनुपालन हेतु,

फिंगर्स प्रिन्टर्स

पक्षकार/विक्रेता/निर्माता नाम व पता :- [illegible]

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

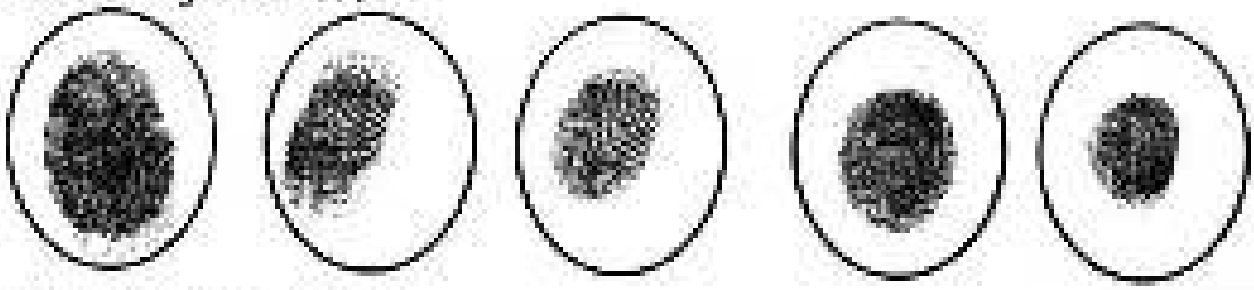

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

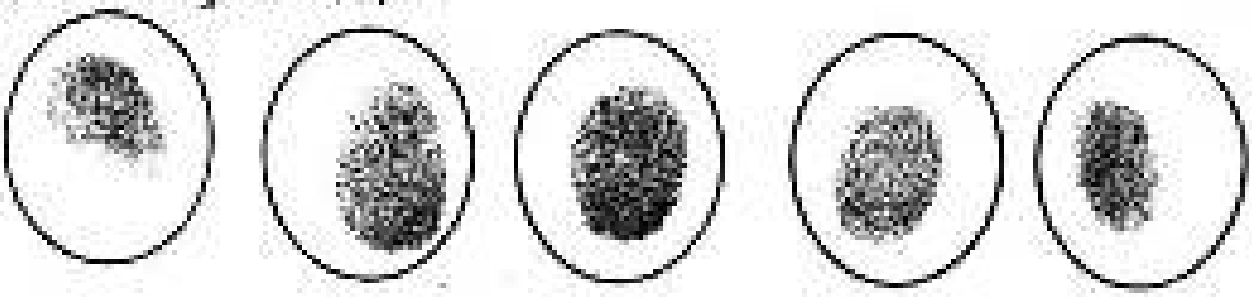

पक्षकार/विक्रेता [redacted]

निर्माता/क्रेता नाम व पता :- .....

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

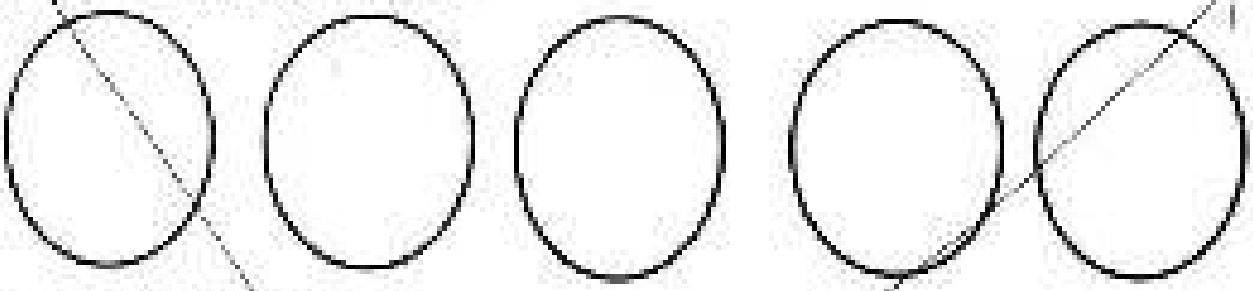

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

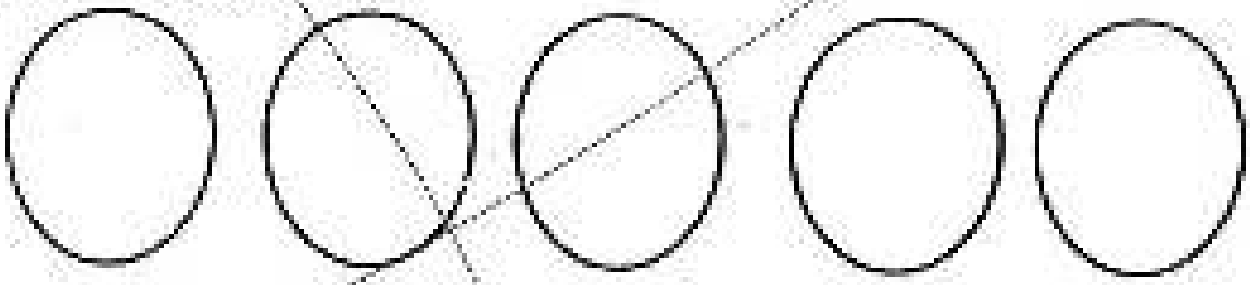

निर्माता/क्रेता के हस्ताक्षर

अन्त दिनांक 26/09/2006 को

बही सं 1 जिल्द सं 7818

पृष्ठ सं 95 से 128 पर क्रमांक 8101

पंजीकृत किया गया।

राकेश शुक्ला

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

[illegible]